PRADHAN MANTRI GRAM SADAK YOJANA

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई(सिं.ख.) रूद्रप्रयाग।

पत्रांक1237/पी.एम.जी.एस.वाई. (सिं.ख.) रूद्रप्रयाग/वनभूमि दिनांक24/08/2022

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड देहरादून।

विषयः– **जनपद रूद्रप्रयाग में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित जाबरी से जयकण्ड (अजयपुर से ककोला) मोटर मार्ग पर नव निर्माण हेतु 1.501 हे0 वन भूमि का प्रत्यावर्तन। (FP/UK/ROAD/40174/2019)**

सन्दर्भ : **भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्रांक– 08बी/यू0सी0पी0/06/10/2020/एफ0सी0/1749 दिनांक 17–03–2022**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि विषयांकित मोटर मार्ग पर भारत सरकार के पत्रांक– 08बी/यू0सी0पी0/06/10/2020/एफ0सी0/1021 दिनांक 25–08–2020 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र में 3.002 है0 के स्थान पर 2.912 है0 भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ली गयी थी। जिसके उपरान्त 2.912 है0 भूमि पर ही एन0पी0वी0 की धनराशि जमा की गयी है। वर्तमान में भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा आपत्ति लगायी गयी है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 3.002 है0 के स्थान पर 2.912 है0 त्रुटिवश अंकित हो गया था। जिसकी (3.002–2.912 = 0.09 है0) की धनराशि जमा की जानी है। जिसकी अवशेष धनराशि 36719.00 (छतीस हजार सात सौ उन्नीस रू0 मात्र) जमा करने हेतु उप वन संरक्षक रूद्रप्रयाग के पत्रांक– 196/12–1–(2) दिनांक 21–07–2022 द्वारा डिमांड नोट इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है। जिसके क्रम में डिमांड नोट परिवेश पोर्टल पर चालान जनरेट हेतु अपलोड किया गया है।

अतः महोदय से निवेदन है कि उपरोक्त डिमांड नोट को ऑनलाईन पोर्टल पर स्वीकार करने की कृपा करें, ताकि पोर्टल पर ऑनलाईन चालान जनरेट किया जा सके एवं अवशेष धनराशि जमा की जा सके।

24/08

अधिशासी अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड,
रूद्रप्रयाग।

o/c

पत्रांकः–1237/पी.एम.जी.एस.वाई. (सिं.ख.) रूद्रप्रयाग/वनभूमि/ तददिनांक।

प्रतिलिपि – उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग रूद्रप्रयाग, जनपद रूद्रप्रयाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

24/08

अधिशासी अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड,
रूद्रप्रयाग।

o/c

ई. मेल :- dforudraprayag@gmail.com
फोन / फैक्स नं0 01364 233505
पता - [illegible]

कार्यालय उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

पत्रांक- 196 / 12-1(2) दिनांक 21/7/2022

सेवा मे,

अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड,
रुद्रप्रयाग।

विषय :- **जनपद–रुद्रप्रयाग में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत जाबरी से जयकण्डी (अजयपुर से ककोला) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.501 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के संबंध में। PROPOSAL NO.- FP/UK/ROAD/40174/2019**

सन्दर्भ :- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र संख्या–8बी./यू.सी.पी./06/10/2020/एफ.सी./1749 दिनांक 17.03.2022 एवं आपकी पत्र संख्या–977 दिनांक 12.07.2022।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित विषयक पत्र में उल्लिखित बिन्दु संख्या–2 के अनुपालन हेतु प्रश्नगत प्रकरण में प्रभावित होने वाली कुल वन भूमि 1.501 है0 के एवज में कुल 3.002 है0 भूमि में से (3.002 ha. - 2.912 ha. = 0.090 ha.) अवशेष 0.090 है0 क्षेत्रफल पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु बकाया धनराशि प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक–1459/3–5–2 दिनांक 01.07.2021 में उल्लिखित वसूली वर्ष 2022–23 के लिये निर्धारित दर 407992.00 के अनुसार रुपये (3.002 ha. – 2.912 ha. = 0.090 ha. @ 407992.00 = 36719.00) = **36719.00 (छत्तीस हजार सात सौ इक्यानब्बे)** मात्र की धनराशि जमा की जानी है।

अतः उक्त धनराशि जमा करने हेतु डिमांड नोट प्रेषित है। आंकलित की गई धनराशि को हार्ड प्रति में वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौडी के कार्यालय से सत्यापित होने के पश्चात् ही डिमांड नोट ऑनलाईन अपलोड किया जाय। तत्पश्चात् सत्यापित धनराशि कैम्पा कोष में जमा करने के उपरान्त भारत सरकार के उक्त सन्दर्भित पत्र में उल्लिखित बिन्दु संख्या–1 से 6 तक की वांछित सूचना कॉलमवार/बिन्दुवार मय संलग्नक (01 मूल + 03 कलर प्रति) चार प्रतियों में शीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि प्रकरण में चाही गई सूचना अग्रेसित की जा सके।

भवदीय

[signature]

उप वन संरक्षक
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

संख्या- 196 /दिनांकित।

प्रतिलिपि 1:- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरा नगर फारेस्ट कॉलोनी, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 2:- वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौडी को सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित की उक्त डिमांड नोट को हार्ड प्रति में अपने स्तर से जांच कर सरस्तुति सहित सबंधित प्रस्तावक विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा कीजिएगा।

[signature]

उप वन संरक्षक
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

E Mail I.D.:- cfgarhwal@gmail.com ... Phone & Fax :- 01368-222566

कार्यालय वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

पत्रांक:–
सेवा म / .दिनांक, पौड़ी, जुलाई, 29 2022.

अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण
उत्तराखण्ड देहरादून।

विषय:– सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों में प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी द्वारा प्रेषित Demand Note के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:– आपका कार्यालय पत्रांक 81/1जी–विविध (पौड़ी) दिनॉक 08.07.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र से गढ़वाल वन प्रभाग के 3 तथा रूद्रप्रयाग वन प्रभाग का 1 Demand Note संलग्न कर इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है जिनका अवलोकन करने पर प्रभागीय वनाधिकारियों द्वारा प्रेषित निम्नलिखित डिमांड नोट निर्धारित वर्ष 2022–23 की दरों के अनुसार सही पाये गये है का विवरण निम्नप्रकार है:–

क्र0	प्रस्ताव का नाम	डिमांड नोट की धनराशि रू0 मे			अभ्युक्ति
		C.A	रोड साईड वृक्षारोपण	NPV	
1	जनपद पौड़ी गढ़वाल में विधानसभा क्षेत्र लैन्सडौन के विकासखण्ड नैनीडांडा के अन्तर्गत खण्डोलिया खेत से कौला–पुलटण्डा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.450 है0 वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।	367193.00	0.00	581783.00	संस्तुति की जाती है।
2	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखण्ड जयहरीखाल में वड़डा ताडकेश्वर मोटर मार्ग के किमी0 6.020 से मलारा बड़ा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.84 है0 वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।	0.00	565860.00	1085994.00	संस्तुति की जाती है।
3	जनपद रूद्रप्रयाग में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित जाबरी से जयकण्ड (अजयपुर से ककोला) मोटर मार्ग नव निर्माण हेतु 1.501 है0 वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।	36719.00	0.00	0.00	संस्तुति की जाती है।

रूद्रप्रयाग वन प्रभाग रूद्रप्रयाग
पं0 787
पत्र 12-1(2)
दिनांक 08/8/022

भवदीय,

(पंकज कुमार)
वन संरक्षक
गढ़वाल वृत्त उत्तराखण्ड पौड़ी

पत्रांक:– 299 /12-1 दिनांकित

प्रतिलिपि 1. प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल एवं रूद्रप्रयाग वन प्रभाग को सूचनार्थ प्रेषित।
2. अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग लैन्सडौन को उनके पत्रांक 2094 सी0 दिनॉक 07.07.2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(पंकज कुमार)
वन संरक्षक
गढ़वाल वृत्त उत्तराखण्ड पौड़ी

//Jaideep//

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
25 सुभाष रोड, देहरादून–248001
दूरभाष: 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल- moef.ddn@gov.in

सत्यमेव जयते

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
INTEGRATED REGIONAL OFFICE, DEHRADUN
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

फाईल संख्या 8बी./यू.सी.पी./06/10/2020/एफ0 सी0/1749 दिनांक: 17/03/2022

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:– जनपद रूद्रप्रयाग में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत प्रस्तावित, जाबरी से जयकण्डी (अजयपुर से ककोला) मोटर मार्ग (लम्बाई 3.00 कि0मी0) के नव निर्माण हेतु 1.501 हे0 वन भूमि का प्रत्यावर्तन। (FP/UK/ROAD/40174/2019)

सन्दर्भ:–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक – 2031/FP/UK/ ROAD/40174/2019 दिनांक 21/02/2022

महोदय,

उपरोक्त विषय पर सन्दर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि इस कार्यालय के पत्र दिनांक 25.08.2020 द्वारा प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई थी जिसकी अनुपालना राज्य सरकार के संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गई है प्रस्तुत अनुपालन आख्या के अवलोकन उपरान्त निम्न त्रुटियाँ पाई गयी है जिसकी पूर्ति राज्य सरकार से अपेक्षित है:–

1. प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी करने से पूर्व राज्य सरकार द्वारा आनलाईन भाग– II के पैरा –13 में 1.501 हे0 वन भूमि प्रत्यावर्तन के सापेक्ष में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दुगने क्षेत्र 3.002 हे0 के स्थान पर 2.912 हे0 क्षेत्र का उल्लेख कर जानकारी अपलोड कर दी गई थी परन्तु क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना 3.002 हे0 क्षेत्र के लिये हीं अपलोड पाई गई थी। इस कार्यालय द्वारा टंकण त्रुटिवश सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 3 (क) में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के क्षेत्र का उल्लेख 2.912 हे0 कर दिया गया। इसके उपरान्त सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 3.002 हे0 के स्थान पर मात्र 2.912 हे0 हेतु ही धनराशि जमा की गई है। यह प्रभागीय वनाधिकारी के स्तर पर प्रस्ताव के प्रति लिये गये आकस्मिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। अतः आपसे अनुरोध है कि 3.002 हे0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ownership proof, KML file, डिजिटल मैप, SoI toposheet मैप, क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना, स्थल उपयुक्ता प्रमाण पत्र, mutation के दस्तावेज़, खसरा तथा खतौनी के दस्तावेज़, इत्यादि इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें।
2. इसके अतिरिक्त 3.002 हे0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु बकाया धनराशि भी जमा कराई जायें।
3. क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र आरक्षित वन/संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित करने के संबंध मे आपको अवगत कराना है कि मंत्रालय द्वारा दिये गये दिशानिर्देश के पैरा 2.4 (i) के अनुसार, विधिवत् स्वीकृति से पूर्व भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत् क्षतिपूरक